भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2032
13.03.2023 को उत्तर के लिए

बंदरों के काटने के कारण हुई मौतें/चोट

2032. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में बंदरों के हमलों/काटने के कारण वर्ष-वार कुल कितनी मौतें हुई हैं और कितने घायल हुए हैं;

(ख) क्या बंदरों से हुए नुकसान के लिए अनुग्रह राहत राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2018 के पत्र का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी अनुग्रह राहत राशि का संवितरण किया गया है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) वन्यजीव और उनके पर्यावास के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। बंदरों के हमले/काटने से हुई मौतों/चोटों के ब्यौरे मंत्रालय में संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 09 फरवरी 2018, के पत्र द्वारा वन्यजीवों के कारण जान-माल की क्षति, चोट और संपत्ति और फसलों को हुई हानि के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत देय अनुग्रह राहत राशि को बढ़ा दिया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत देय अनुग्रह राहत राशि की प्रतिपूर्ति राज्यों द्वारा संवर्धित दरों पर, निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन की जाए। राज्यों द्वारा संवितरित अनुग्रह राहत राशि से संबंधित सूचना मंत्रालय द्वारा समेकित नहीं की जाती है।

*****